

# कार्यकारी सारांश

कलस्टर बालू घाट खनन परियोजना  
कलस्टर 1 B (पटना सोन 06 to 08)  
के लिए

ग्राम - थेका मौज़ा- आनंदपुर, पोस्ट- आनंदपुर,  
पी0एस- बिहटा, अंचल - बिहटा, जिला-पटना  
(बिहार)

कलस्टर क्षेत्रफल 96.3 हेक्टेयर, उत्पादन 24,26,760  
टन प्रति वर्ष

## आवदेक

श्री शशिभूषण सिंह (06) श्री राजन  
सिंह(07) मैसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा.  
लिमिटेड (08)

एनवायरनमेंट कन्सल्टेंट :



काॅग्नीज़न्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(कवालिटी कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त)

जी टी - २० सेक्टर -११७ नॉएडा उत्तर-प्रदेश

[www.cognizanceindia.com](http://www.cognizanceindia.com)



## कार्यकारी सारांश

### ➤ परियोजना और प्रस्तावक का परिचय

बालू घाट माइनिंग परियोजना क्लस्टर 1B (सोन 6 से लेकर सोन 8) जिला-पटना (बिहार) में स्थित है।

चारों ब्लॉकों के प्रस्तावक, लीज क्षेत्रफल, घाट संख्या, प्लॉट / खसरा संख्या और परियोजना स्थान का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	प्रस्तावक	घाट संख्या	लीज क्षेत्रफल	प्लॉट / खसरा संख्या	परियोजना स्थान
1	श्री शशिभूषण सिंह पुत्र राम प्रसाद सिंह	6	37.1	खता नं। - 197, खसरा नंबर- 1164, थाना नं-36	ग्राम-थेका, मौज़ा- आनंदपुर, पोस्ट- आनंदपुर, पी0एस- बिहटा, अंचल - बिहटा, जिला-पटना (बिहार)
2	श्री राजन सिंह पुत्र श्री बिदेश्वरी सिंह सुदामडीह	7	19.9	खता नं। - 197, खसरा नंबर- 1164, थाना नं-36	ग्राम-रेखा, मौज़ा- आनंदपुर, पोस्ट - आनंदपुर, पी0एस- बिहटा, अंचल - बिहटा, जिला-पटना (बिहार)
3	मेसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा। लिमिटेड प्रो। श्री। बबन सिंह पुत्र स्वर्गीय गौरी शंकर सिंह	8	39.3	खाटा नं.- 197 , खसरा नंबर -27,30 थाना नं. - 39	ग्राम - थेखा , मौज़ा - अमीनाबाद, डाक - आनंदपुर, पी0एस बिहटा, अंचल - बिहटा, जिला-पटना (बिहार)

इस बालू घाट माइनिंग परियोजना क्लस्टर 1B (सोन 6 से लेकर सोन 8) के तीनों ब्लॉकों को सर्वप्रथम मिनिरल डेवलपमेंट अफसर पटना को आवंटित किया गया था, पुनः बाद में सरकार के द्वारा



नीलामी में ये तीनो ब्लॉक परियोजना प्रस्तावक श्री शशिभूषण सिंह पुत्र राम प्रसाद सिंह, श्री राजन सिंह पुत्र श्री बिदेश्वरी सिंह सुदामडीह और मेसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा। लिमिटेड प्रो। श्री। बबन सिंह पुत्र स्वर्गीय गौरी शंकर सिंह को आवंटित कर दिया गया।

घाट संख्या 6 श्री शशिभूषण सिंह पुत्र राम प्रसाद सिंह को पत्रांक संख्या 359/ खनन, पटना दिनांक 06/02/2020 के द्वारा आवंटित किया गया। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 560/M, पटना) जारी किया गया।

इस क्लस्टर के घाट संख्या 7 श्री राजन सिंह पुत्र श्री बिदेश्वरी सिंह सुदामडीह को पत्रांक संख्या 360/ खनन, पटना दिनांक 06/02/2020 के द्वारा आवंटित किया गया। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 541/M, पटना दिनांक 11.02.2020) जारी किया गया।

इस क्लस्टर के घाट संख्या 8 मेसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा। लिमिटेड प्रो। श्री। बबन सिंह पुत्र स्वर्गीय गौरी शंकर सिंह को आवंटित कर दिया गया को पत्रांक संख्या 356 दिनांक 06-02-2020 के द्वारा आवंटित किया गया। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 540/M, Patna दिनांक 11.02.2020) जारी किया गया।

आवेदक ने ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। क्लस्टर परियोजना की लागत नीचे सारणी में दी गई है।

क्रम संख्या	घाट संख्या	परियोजना की लागत
1	सोन घाट संख्या 6	3,42,00,000
2	सोन घाट संख्या 7	1,84,50,000
3	सोन घाट संख्या 8	3,53,50,000
	सम्पूर्ण	8,80,00,000

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना, दिनांकित 14 सितम्बर 2006 जिसे दिसम्बर 2009, और अप्रैल 2011 और 2018 में संशोधित किया गया है, के अनुसार, परियोजना गतिविधि 1 ए, के तहत श्रेणी 'बी' में आती है। ड्राफ्ट ई0 आई0 ए0/ई0 एम0 पी0 21.07.2029 को निर्देशित टी0ओ0आर0 तथा ई0 आई0 ए0 अधिसूचना के आधार पर तैयार की गई हैं। इस खदान के द्वारा पर्यावरण में होने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए वर्तमान स्थिति में पर्यावरण पर खान के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का जायजा लेना आवश्यक है।

प्रस्ताव प्रति वर्ष लगभग 24,26,760 टन खनिज के खनन का है। प्रस्तावित परियोजना के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 8,80,00,000 रुपये है।

### स्थल

क्लस्टर परियोजना के चारों घाटों के कोऑर्डिनेट्स नीचे सारणी में दिए गए हैं। परियोजना का यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण की टोपोशीट नम्बर 72 C/14 (G45M14) में आता है स्थित पट्टा क्षेत्र गया के जिला बिहार में स्थित है।

खनन पट्टे के कोऑर्डिनेट्स (Mine lease co-ordinates):

क्रम संख्या	घाट संख्या	आक्षांश देशान्तर	
1	सोन घाट संख्या 6	A	25°37'37.19"N 84°49'25.80" E
		B	25°37'24.25" N 84°49' 57.81" E
		C	25°37'12.14"N 84°49'52.51 " E
		D	25°37' 13.20" N 84°49' 49.51" E
2	सोन घाट संख्या 7	A	25°37'13.10"N 84°49'49.57 " E
		B	25°37'12.07"N 84°49' 52.56" E
		C	25°37'8.41"N 84°50'2.38 " E
		D	25°36'52.16"N 84°50' 1.49" E
		E	25°36'56.88"N 84°49' 44.02" E
		F	25°37' 2.47"N 84°49' 49.13" E
		G	25°37'4.62" N 84°49' 50.18" E
3	सोन घाट संख्या 8	A	25°36' 56.88" N 84°49'44.02 " E
		B	25°36'52.16" N 84°50' 1.49" E
		C	25°36' 32.33" N 84°49'57.04 " E
		D	25°36' 43.24" N 84°49' 29.08" E

संयोजकता

पटना सबसे नज़दीक शहर है। खनन क्षेत्र में अवागमन नॅशनल हाइवे- 30 द्वारा जाया जा सकता है  
परियोजना की सहज विशेषतायें

## 2.2 परियोजना की मूल आवश्यकताएं

पानी की आवश्यकताएं	मात्रा (KLD)
सोन घाट संख्या 6	
पीने के पानी सम्बंधित	0.86
धूल का दमन सम्बंधित	2.4
वृक्षारोपण	1.85
संपूर्ण (सोन घाट संख्या 6)	<b>5.11</b>
सोन घाट संख्या 7	<b>पानी की मात्रा (KLD)</b>
पीने के पानी सम्बंधित	0.57
धूल का दमन सम्बंधित	1.8
वृक्षारोपण	1.0
संपूर्ण (सोन घाट संख्या 7)	<b>3.37 ~ 3.5</b>
सोन घाट संख्या 8	<b>पानी की मात्रा (KLD)</b>
पीने के पानी सम्बंधित	0.86
धूल का दमन सम्बंधित	2.1
वृक्षारोपण	1.9
संपूर्ण (सोन घाट संख्या 8)	<b>4.86</b>
संपूर्ण क्लस्टर 1B (सोन 6 से लेकर सोन 8)	<b>13.47 KLD</b>

## 2.3 खनन पद्धति का विवरण

खनन की विधि	खुली खदान अर्ध्व यांत्रिकीकृत
बेंच की उंचाई और चौड़ाई	उंचाई: 1.5 मीटर चौड़ाई: 6 मीटर
गड्ढों की अधिकतम गहराई	3 M

ड्रिलिंग

ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

खनिज का उपयोग

बालू का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है

### ➤ खनन

यह एक ओपन – कास्ट खनन परियोजना है। कार्य अर्ध यांत्रिकी / ओ टी ऍफ एम विधि से किया जायेगा। एक्सकैवेटर / जेसीबी ट्रक / ट्रैक्टर संयोजन उपकरणों का या मैनुअल रूप से उपयोग किया जाएगा। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

खनन 3 मीटर की गहराई तक या भूजल के 3 मीटर ऊपर तक किया जाएगा।

खनन केवल दिन में किया जाएगा और मानसून के दौरान पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

### रिजर्व

रिजर्व की गणना के लिए खनन योग्य क्षेत्र की सीमा पर विचार सतह से 3 मीटर की अधिकतम गहराई के मद्देनजर किया गया है।

### उत्पादन

क्लस्टर परियोजना उत्पादन निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	घाट संख्या	प्रस्तावित क्षमता टन प्रति वर्ष
1	सोन घाट संख्या 6	9,34,920
2	सोन घाट संख्या 7	5,01,480
3	सोन घाट संख्या 8	9,90,360
	सम्पूर्ण	<b>24,26,760</b>

### ➤ स्थल सुविधाएं एवं उपयोगिताएं

जल आपूर्ति

श्रमिकों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। धूल को दबाने के लिए भी पानी की जरूरत होगी। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल 13.47 KLD पानी की जरूरत होगी।

### अस्थायी आवास :

श्रमिकों को विश्राम के लिए स्थल के नजदीक एक अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के लिए प्रथम उपचार दवाओं के साथ-साथ विष-रोधी दवाओं और साफ-सफाई की व्यवस्था अर्थात सेप्टिक टैंक या सामुदायिक पैखाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

### पर्यावरणी स्थिति

आधाररेखा पर्यावरणी गुणवत्ता का परीक्षण मार्च 2020 – जून 2020 तक मौसम के दौरान खान के चारों ओर 10 किलोमीटर की त्रिज्या में किया गया।

### ➤ बेसलाईन आंकड़े :

प्रस्तावित खनन के प्रति वायु, ध्वनि, जल, मृदा, पारिस्थितिकी और जैवविविधता के पर्यावरणीय आंकड़ों का संग्रह कर लिया गया है।

### पर्यावरण की आधारिक स्थिति

विशेषता	आधारिक स्थिति
वायु गुणवत्ता	वायु गुणवत्ता के कुछ मानकों के अधिकतम मानों जैसे PM <sub>2.5</sub> (43.6 µg/m <sup>3</sup> ), PM <sub>10</sub> (94.8 µg/m <sup>3</sup> ) है। इन मानकों के न्यूनतम मान PM <sub>2.5</sub> (16.1 µg/m <sup>3</sup> ), PM <sub>10</sub> (31.3 µg/m <sup>3</sup> ) है, SO <sub>2</sub> और NO <sub>2</sub> का मान लिमिट के अंदर है।
शोर गुणवत्ता	शोर का अध्ययन 5 स्थानों पर किया गया। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि दिन और रात दोनों समय में शोर के स्तर सभी स्थानों पर NAAQ(राष्ट्रीय मानको द्वारा) निर्धारित सीमा में थे।
जल गुणवत्ता	सभी स्रोतों से भूमिगत जल पेय प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सभी अवयव भारतीय मानक आईएस:10500 के मानदण्डों के अनुसार निर्धारित सीमा से कम पाये गये। सतही जल के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नमूनों के अधिकांश मानक सीपीसीबी के 'श्रेणी बी' मानकों के अनुसार उपयुक्त हैं, यह इंगित करता है कि ये स्नान इत्यादि के लिए उपयुक्त हैं।
मृदा गुणवत्ता	चिह्नित स्थलों से लिए गए नमूनों से पता चलता है कि मिट्टी बलुई है और इसका pH 7.24 से 8.24 के बीच है।

## ➤ पर्यावरण प्रबंधन योजना (इएमपी) एवं उसका कार्यान्वयन

- बैंक के संरक्षण के लिए नदी क्षेत्र से सुरक्षित दूरी छोड़ दिया जाएगा तथा नदी से दूर के क्षेत्रों (Paleochannels) के संरक्षण के लिए पट्टा क्षेत्र की परिधि के आसपास क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा
- कार्य की अधिकतम गहराई क्षेत्र के भूजल स्तर के ऊपर रहेगी।
- स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए प्रभाव क्षेत्र में श्रमिकों और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- ऐसी गतिविधियां कम की जाएंगी जिनके फलस्वरूप सूक्ष्म तलछट नदी में पहुंच सके।
- ढुलाई और निकास मार्ग के रखरखाव के चलते परिवहन पर पड़ने वाले भार पर नियंत्रण रखा जाएगा।
- परिवहन और खनिज पदार्थों के रखरखाव के दौरान उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी को कम करने के लिए न्यूनीकरण के प्रभावशाली उपाय अपनाए जाएंगे :
- स्थानीय/मूल एवं तेजी से बढ़ने वाले जीवों के लिए सुधार कार्यक्रम का संचालन।
- मानसून ऋतु के आने के समय खनन के बंदी के दौरान नवीनीकरण योजना का क्रियान्वयन।
- संभावित आपदाओं से बचने के लिए समय पर एहतियाती उपाय अपनाने हेतु प्रभावशाली आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा प्रभावशाली निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

## ➤ खनन के लाभ

### **भौतिक लाभ**

प्रस्तावित परियोजना के प्रारंभ होने से आसपास के निम्नलिखित क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।

क. सड़क परिवहन या सड़कों संपर्क में वृद्धि

ख. खनिज से अच्छे बाजारी अवसर मिलेंगे।



ग. हरियाली /वृक्षारोपण को बढ़ावा

घ. समुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन (बुनियादी ढांचे)

#### **सामाजिक लाभ:**

क) रोजगार में वृद्धि

ख) राजकोष में अंशदान (खनिज कि बिक्री से राजस्व प्राप्त होगा)

ग) स्वास्थ्य संबंधि गतिविधिया को बढ़ावा

घ) शैक्षिक गतिविधियां बनाने और उनको बढ़ावा देने की योजना।

ड.) तत्कालीन समुदाय का सुदृढीकरण सामुदायिक विकाय कार्यक्रम के माध्यम से सुविधा कार्यक्रम।

#### **पर्यावरणीय लाभ:**

क) वैज्ञानिक खनन से पर्यावरण दुष्प्रभाव में कमी।

ख) वैज्ञानिक खनन से नदी के किनारों के आस पास पर उगी फसलों की सुरक्षा।

ग ) अवैध खनन रोकने के उपाय।

#### **➤ निगमित (काॅर्पोरेट) सामाजिक दायित्व**

परियोजना लागत की पूंजीगत लागत का 2% (17,60,000/-) काॅर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के लिए आवंटित किया जाएगा। लोगों की जरूरतों और मांग को देखते हुए प्रस्तावित विभिन्न गतिविधि का निर्णय लिया जायेगा जो शिक्षा, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण बचाव,स्वास्थ्य इत्यादि से सम्बंधित होगा।

प्रत्येक गतिविधि का निर्धारण स्थानीय प्राधिकारी और लोगों से सार्वजनिक सुनवाई के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा।

\*\*\*\*\*